RNI No.: DEL/BIL/2004/14598

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Youngster

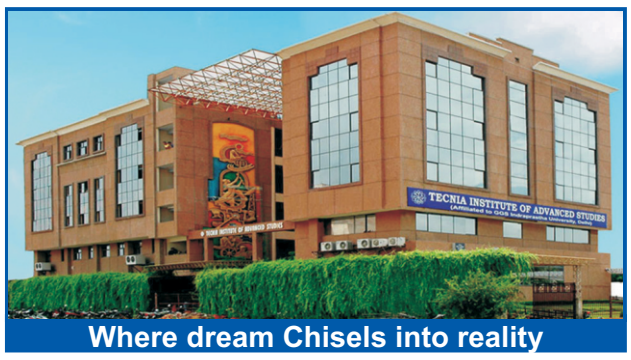

Where dream Chisels into reality

YOUNGSTER · ESTABLISHED 2004 · NEW DELHI · APRIL 2021 · PAGES 4 · PRICE 1/- · MONTHLY BILINGUAL (HIN./ENG.)

जिंदगियां बचाने के लिए सरकारों को अपने प्रयास और तेज करने होंगे

देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर हर दिन विकराल होती जा रही है। पूरा देश इसकी चपेट में आ चुका है। नये कोरोना संक्रमण मरीज आने की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। यदि कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलने का सिलसिला इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में ही भारत में प्रतिदिन चार लाख से अधिक कोरोना मरीज मिलने लगेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को काबू में करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने लगे हैं। मगर सरकारी प्रयासों के बावजूद भी कोरोना संक्रमितो के आने की संख्या में कमी नहीं हो पा रही है।

कोरोना विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों का मानना है कि मई मध्य तक कोरोना का कहर पीक पर होगा। उसके बाद इसकी संख्या में कमी आनी शुरू होगी। लेकिन अभी अप्रैल में ही जब प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं तो मई में तो इनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार को अभी से युद्ध स्तर पर काम करना चाहिये।

कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही देश में ऑक्सीजन की भयंकर कमी महसूस की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई स्थानों पर कोरोना संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। जो सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। हालांकि ऑक्सीजन संकट व्याप्त होते ही केंद्र सरकार ने शीघ्रता से आपदा नियंत्रण की दिशा में सार्थक कार्यवाही करते हुये पूरे देश में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का केंद्रीकरण कर उसका राज्यवार आवंटन का कोटा तय किया ताकि देश के सभी राज्यों को समान रूप से आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन गैस मिल सके।

इसके साथ ही सरकार ने वायु सेना के विमानों के माध्यम से विदेशों से ऑक्सीजन के कंटेनर व ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित मशीनों का भी तेजी से आयात करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही देश में ऑक्सीजन के टैंकरों को निर्धारित स्थान तक पहुंचाने के लिए वायु सेना के परिवहन विमानों व रेलवे की माल गाड़ियों का उपयोग किया जाने लगा। जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन तेजी से पहुंचने लगी। हालांकि आज भी देश में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। मगर केंद्र सरकार ने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि जरूरत पड़ने पर विदेशों से भी ऑक्सीजन का आयात किया जाएगा और ऐसा किया भी जा रहा है। सरकार ने ऑक्सीजन के निर्यात पर पूर्णतया रोक लगा दी है। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन पर रोक लगाते हुए उसे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के उपयोग में लाया जा रहा है।

हाल ही में देश में उपजे ऑक्सीजन विवाद के चलते कई प्रदेशों में उच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले जनवरी माह में विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगाने हेतु धनराशि जारी होने के उपरांत भी राज्य सरकारों द्वारा अभी तक ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि यदि समय रहते अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए जाते तो आज देश को विकट स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

पिछले एक साल से कोरोना महामारी का मुकाबला करने के बावजूद केंद्र व राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किए। देश में ना तो नए अस्पताल बनाने की शुरुआत की गई ना ही चिकित्सा से संबंधित अन्य उपकरण व दवाइयों के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी सरकारों ने चिकित्सा की बजाए अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए अन्य विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया। उसी का नतीजा है कि आज हम कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के बाद हालात ऐसे बन गए कि विकास कार्यों की बजाए सरकार को लोगों की जान बचाने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं किया गया। आज भी केंद्र व राज्य सरकारें अस्पताल बनाने के स्थान पर नई सड़कें बनाने, नए पावर हाउस बनाने, नई बिजली की लाइनें डालने, नए भवन बनाने व सरकार से जुड़े लोगों को अधिकाधिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर अधिक ध्यान दे रही हैं। सरकारों का अधिकांश बजट भी इन्हीं सब कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। जबकि कोरोना की पहली लहर के समय ही केंद्र व राज्य सरकारों को सचेत होकर भविष्य में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था।

कहने को तो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने अपने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पहले से अधिक राशि का आवंटन किया है। मगर सरकारों को चाहिए था कि अधिक की बजाय सबसे अधिक राशि इस साल के बजट में चिकित्सा के क्षेत्र पर खर्च की जानी चाहिए थी। ताकि हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी मजबूत हो सके कि हम आने वाली किसी भी बीमारी का अपने संसाधनों के बल पर सुढ़ता से मुकाबला कर सकें।

देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन उसमें भी केंद्र व राज्य सरकारों में टकराव देखने को मिल रहा है। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाने की इजाजत दे दी है। मगर उसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों से आधा वैक्सीन केंद्र सरकार को व आधा वैक्सीन राज्य सरकारों व खुले बाजार में बेचने की छूट प्रदान कर दी है। उसमें कई राज्य सरकारें वैक्सीन का खर्च उठाने में असमर्थता जता रही हैं जिसको लेकर भी आए दिन आरोप–प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।

देश की जनता को अभी सबसे अधिक चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत है। लोगों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के समय में यदि हम जान बचाने में सफल हो जाते हैं तो विकास कार्य करवाने के लिए आगे बहुत समय मिलेगा। इस समय तो केंद्र व सभी राज्य सरकारों को अपना पूरा बजट चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने पर खर्च करना चाहिए। अन्य मदों पर खर्च की जाने वाली राशि पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।

देश के सभी जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं का आगामी एक वर्ष तक परित्याग कर उस राशि को भी जनहित में चिकित्सा पर खर्च करने के लिए सरकार को सौंप दें। देखने में आ रहा है कि कई जगह पर जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए नए वाहन खरीदे जा रहे हैं नये भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। जिनको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है ताकि उस राशि का उपयोग भी चिकित्सा तंत्र को सुढ़ करने पर किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित 551 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगाने के लिये राशि स्वीत कर दी है। 162 जिलों में गत जनवरी में ही इसे स्वीत किया गया था। राज्य सरकारों को चाहिये कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना शीघ्रता से करवायें जिससे ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो सके। अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की दिशा में तमिलनाडू व केरल की सरकार ने अवश्य ही काबिले तारीफ और सार्थक प्रयास किये हैं।

इसके साथ ही सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सभी बड़े निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बनाने का संयंत्र लगाना आवश्यक हो ताकि ऑक्सीजन को लेकर जैसा संकट इस वक्त देश की जनता झेल रही है, वैसी स्थिति फिर कभी नहीं देखनी पड़े। देश में एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और अधिक संख्या में स्थापित किए जाने चाहिए ताकि लोगों को अपने क्षेत्र में ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभता से मिल सके।

तेजस्विता उपाध्याय, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष

कोरोना महामारी ने मानव को नहीं बल्कि मानवता को परास्त किया है

ठस समाज का हिस्सा होने पर हम शर्मिंदा हैं यह बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर कही है। लेकिन कोरोना से उपजी विकट स्थिति से महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना की जिस लड़ाई को लग रहा था कि हम जीत ही गए अचानक हम कमजोर पड़ गए।

कोरोना की शुरूआत में जब पूरे विश्व को आशंका थी कि अपने सीमित संसाधनों और विशाल जनसंख्या के कारण कोरोना भारत में त्राहिमाम मचा देगा, तब हमने अपनी सूझबूझ से महामारी को अपने यहाँ काबू में करके सम्पूर्ण विश्व को चौंका दिया था। रातों रात ट्रेनों तक में अस्थाई कोविड अस्पतालों और जाँच लैब का निर्माण करने से लेकर पीपीई किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और मास्क का निर्यात करने तक भारत ने कोविड से लड़ाई जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत इतने पर नहीं रूका। भारत ने कोरोना के साथ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन का निर्माण भी कर लिया था। लगने लगा था कि कोरोना से इस लड़ाई में हम बहुत आगे निकल आए हैं लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि परिस्थितियां हमारे हाथ से फिसलती गईं और हम हार गए। एक देश के रूप में, एक सभ्यता के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में।

आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है वो कम से कम कोरोना की दूसरी लहर में तो स्वीकार नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोरोना की पहली लहर में यह सब होता तो एक बार को समझा जा सकता था कि देश इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन आज?कहाँ गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोरोना की पहली लहर में खड़ा किया गया था?कहाँ गए वो कोविड के अस्पताल?कहाँ गए वो बड़े बड़े दावे?जब वैज्ञानिकों ने पहले से ही कोविड की दूसरी लहर की चेतावनी दे दी थी तो यह लापरवाही कैसे हो गई? आज अचानक देश बेड और ऑक्सीजन की कमी का सामना क्यों कर रहा है?वो देश जिसकी दुनिया भर में फार्मेसी के क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है, वो कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किल्लत से क्यों जूझ रहा है? अधिकांश राज्य सरकारें और प्रशासन एक वायरस के आगे बौने क्यों दिखाई पड़ रहे हैं?

दुर्भाग्य यह है कि बात प्रशासन और सरकारों के एक वायरस के आगे बेबस होने तक ही सीमित नहीं है, ये जमाखोरों और काला बाजारी करने वालों के आगे भी बेबस नजर आ रही हैं। देश के जो वर्तमान हालात हैं उनमें केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही कठघरे में नहीं हैं बल्कि प्रशासन और नेता भी कठघरे में हैं।

इसे क्या कहिएगा कि जब मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में दम तोड़ रहे थे तो मानवता को ताक पर रखकर हमारे नेताओं में 30 टन ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग जाती है। जब इंदौर शहर एक एक सांस के लिए मोहताज था, जब एक क्षण की सांस भी मौत को जिंदगी से दूर धकेलने के लिए बहुत थी, तब इन नेताओं के लिए तीन घंटे का फोटो सेशन भी कम पड़ रहा था। त्राहिमाम के इस काल में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यहीं तक सीमित नहीं रही। कभी सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी होने की खबर आई तो कभी कोरोना के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाई रेमेडेवेसिर चोरी होने की। कभी आम लोगों द्वारा ऑक्सीजन सिलिंडर लूटने की खबरें आईं तो कभी प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे 750 से 1000 रूपए का इंजेक्शन 18000 तक में बिका। पेरासिटामोल जैसी गोली भी इस महामारी के दौर में 100 रुपए में बेची गई। हालात ये हो गए कि विटामिन सी की गोली से लेकर नींबू तक के दाम थोक में वसूले गए।

कालाबाजारी करने वालों के लिए तो जैसे कोरोना काल आपदा में अवसर बनकर आया। कुल मिला कर जिसे म ा मिला, सामने वाले की मजबूरी का फायदा सबने उठाया। क्या ये वो ही देश है जो कोरोना की पहली लहर में एकजुट था?क्या ये वो ही देश है जिसमें पिछली बार करोड़ों हाथ लोगों की मदद के लिए आगे आए थे?और जब ऐसे देश में प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के इलाज के बिल जो लाखों में बनता है, एक परिवार को अपनी जीवन भर की कमाई और किसी अपने की जिंदगी में से एक को चुनने के लिए विवश होना पड़ता है तो उस समय वक्त भी ठहर जाता है।

क्योंकि एक तरफ भावनाएं उफान पर होती हैं तो दूसरी तरफ वो संभवतः दम तोड़ चुकी होती हैं। और ऐसे संवेदनशील दौर में कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आती हैं जो भीतर तक झंझोर जाती हैं। नासिक के एक अस्पताल में जब ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आई और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की हालत बिगड़ने लगी तो जीवित मरीजों के परिजनों में दम तोड़ चुके मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने की होड़ लग गई। कुछ मरीजों के परिजन मर चुके लोगों के शरीर से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल कर अपनों के शरीर में लगा रहे थे तो कुछ मरीज खुद ही लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिटाने के लिए जब इंसानियत का कत्ल करना इंसान की मजबूरी बन जाए तो दोष किसे दें?स्वास्थ्य सेवाओं को?परिस्थितियों को?सरकार को?प्रशासन को?या फिर कोरोना काल को?

दअरसल इस कोरोना काल ने सिर्फ हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई को ही उजागर नहीं किया है बल्कि दम तोड़ती मानवीय संवेदनाओं का सत्य भी समाज के सामने बेनकाब कर दिया है। समय आ गया है कि हम इस काल से सबक लें। एक व्यक्ति के तौर पर ही नहीं बल्कि एक समाज के तौर पर एकजुट हो कर मानवता की रक्षा के लिए आगे आएं। आखिर यही तो एक सभ्य समाज की पहचान होती है। चंद मुट्ठी भर लोगों का लालच मानवीय मूल्यों पर हावी नहीं हो सकता। जिस प्रकार पिछली बार देश भर की स्वयंसेवी संस्थाओं से लेकर गली–मोहल्लों और गांवों तक में हर व्यक्ति एक योद्धा बना हुआ था इस बार भी वो ही जज्बा लाना होगा और मानवता को आगे आना होगा संवेदनाओं को जीवित रखने के लिए।

अभी हम थक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, अभी हमें एक होकर काफी लंबा सफर तय करना है तभी हम सिर्फ कोरोना से ही नहीं जीतेंगे बल्कि मानवता की भी रक्षा कर सकेंगे।

कहने को तो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने अपने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पहले से अधिक राशि का आवंटन किया है। मगर सरकारों को चाहिए था कि अधिक की बजाय सबसे अधिक राशि इस साल के बजट में चिकित्सा के क्षेत्र पर खर्च की जानी चाहिए थी। ताकि हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी मजबूत हो सके कि हम आने वाली किसी भी बीमारी का अपने संसाधनों के बल पर सुढ़ता से मुकाबला कर सकें।

देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन उसमें भी केंद्र व राज्य सरकारों में टकराव देखने को मिल रहा है। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाने की इजाजत दे दी है। मगर उसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों से आधा वैक्सीन केंद्र सरकार को व आधा वैक्सीन राज्य सरकारों व खुले बाजार में बेचने की छूट प्रदान कर दी है। उसमें कई राज्य सरकारें वैक्सीन का खर्च उठाने में असमर्थता जता रही हैं जिसको लेकर भी आए दिन आरोप–प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं।

देश की जनता को अभी सबसे अधिक चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत है। लोगों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के समय में यदि हम जान बचाने में सफल हो जाते हैं तो विकास कार्य करवाने के लिए आगे बहुत समय मिलेगा। इस समय तो केंद्र व सभी राज्य सरकारों को अपना पूरा बजट चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने पर खर्च करना चाहिए। अन्य मदों पर खर्च की जाने वाली राशि पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।

देश के सभी जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं का आगामी एक वर्ष तक परित्याग कर उस राशि को भी जनहित में चिकित्सा पर खर्च करने के लिए सरकार को सौंप दें। देखने में आ रहा है कि कई जगह पर जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए नए वाहन खरीदे जा रहे हैं नये भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। जिनको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है ताकि उस राशि का उपयोग भी चिकित्सा तंत्र को सुढ़ करने पर किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित 551 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगाने के लिये राशि स्वीत कर दी है। 162 जिलों में गत जनवरी में ही इसे स्वीत किया गया था। राज्य सरकारों को चाहिये कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना शीघ्रता से करवायें जिससे ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो सके। अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की दिशा में तमिलनाडू व केरल की सरकार ने अवश्य ही काबिले तारीफ और सार्थक प्रयास किये हैं।

इसके साथ ही सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सभी बड़े निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बनाने का संयंत्र लगाना आवश्यक हो ताकि ऑक्सीजन को लेकर जैसा संकट इस वक्त देश की जनता झेल रही है, वैसी स्थिति फिर कभी नहीं देखनी पड़े। देश में एम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और अधिक संख्या में स्थापित किए जाने चाहिए ताकि लोगों को अपने क्षेत्र में ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभता से मिल सके।

हर्षित श्रीवास्तव, बीएजेएमसी तृतीय वर्ष

THIS MONTH

August 19, 1991 - Soviet hard-line Communists staged a coup, temporarily removing Mikhail Gorbachev from power. The coup failed within 72 hours as democratic reformer Boris Yeltsin rallied the Russian people. Yeltsin then became the leading power in the country. The Communist Party was soon banned and by December the Soviet Union itself disintegrated.

•••

August 19, 1934 - In Germany, a plebiscite was held in which 89.9 percent of German voters approved granting Chancellor Adolf Hitler additional powers, including the office of president.

•••

August 17, 1998- Bill Clinton became the first sitting President to give testimony before a grand jury in which he, the President, was the focus of the investigation. This resulted from a sweeping investigation of the President by Independent Counsel Ken Starr as well as a private lawsuit concerning alleged sexual harassment by Clinton before he became President. In the evening, President Clinton appeared on national television and gave a speech admitting he had engaged in an improper relationship with former White House intern Monica Lewinsky. The admission occurred several months after a much publicized denial.

Compilation:
Aditi Shukla

BASICS OF MEDIA

Control Room. A room adjacent to the studio in which the director, the technical director, the audio engineer, and sometimes the lighting director perform their various production functions

•••

Master Control . Nerve center for all telecasts. Controls the program input, storage, and retrieval for on-the-air telecasts. Also oversees technical quality of all program material.

•••

Broadband: A high-bandwidth standard for sending information (voice, data, video, and audio) simultaneously over fiber-optic cables

•••

Grayscale: A scale indicating intermediate steps from TV white to TV black. Usually measured with a nine- or seven-step scale.

•••

Demographics: Audience research factors concerned with such data as age, gender, marital status, and income.

•••

Process Message: The message actually received by the viewer in the process of watching a television program.

•••

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Parul Arora

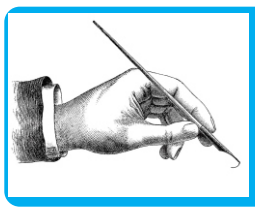

संपादक की कलम से

ईवीएम में एक छोटा-सा परिवर्तन कर राजनीति को अपराधीकरण से बचाया जा सकता है

कानून का शासन की अवधारणा हमारे संविधान की मूल संरचना है। देश को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाने के लिए कानून के शासन का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि, वास्तव में, अक्सर आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनेता चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ तक कि सरकार का हिस्सा भी बन जाते हैं और कानून के शासन के पूरे विचार को नष्ट कर देते हैं। कानून–निर्माता बनने के बाद कानून तोड़ने वाले यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल उन कानूनों और नीतियों को बनाया जाए जो उनके हित में हो। इस प्रकार, राजनीति का अपराधीकरण हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव के लिए बहुत बडा खतरा है।

राजनीति का अपराधीकरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रति के खिलाफ है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित करते हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद भी कोई भी राजनीतिक दल अपनी ओर से आपराधिक तत्वों के उन्मूलन की दिशा में कदम नहीं उठा रहा है।

पिछले तीन आम चुनावों में राजनीति में अपराधियों की संख्या में खतरनाक वृद्धि हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लोकसभा चुनावों में विश्लेषण किए गए 7928 उम्मीदवारों में से 1500 (19:) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान विश्लेषण किए गए 8205 उम्मीदवारों में से 1404 (17:) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान विश्लेषण किए गए 7810 उम्मीदवारों में से 1158 (15:) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे।

एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव लड़ने वाले 1070 (13:) उम्मीदवारों द्वारा बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से सम्बंधित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए थे। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान विश्लेषण किए गए 8205 उम्मीदवारों में से 908 (11:) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान विश्लेषण किए गए 7810 उम्मीदवारों में से 608 (8:) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे। लोकसभा 2019 के चुनावों में 56 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ सजायाफ्ता मामलों की घोषणा की थी।

एडीआर की रिपोर्ट यह भी बताती है कि लोकसभा चुनावों में 265 (49:) निर्वाचन क्षेत्रों में घोषित आपराधिक मामलों वाले 3 या अधिक उम्मीदवार थे। लोकसभा चुनाव 2014 में 245 (45:) निर्वाचन क्षेत्रों में घोषित आपराधिक मामलों वाले 3 या अधिक उम्मीदवार थे। लोकसभा चुनाव 2009 में 196 (36:) निर्वाचन क्षेत्रों में घोषित आपराधिक मामलों वाले 3 या अधिक उम्मीदवार थे।

चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ फॉर्म 26 नामक एक हलफनामा दाखिल करना होता है जो उसकी संपत्ति, देनदारियों, शैक्षिक योग्यता, आपराधिक पूर्ववृत्त (सजा और सभी लंबित मामलों) और सार्वजनिक बकाया, यदि कोई हो, पर जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक उम्मीदवारों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में जानकारी प्रकाशित करें, साथ ही इन सभी उम्मीदवारों को चुने जाने के कारण भी बतायें और ये कारण मात्र ष्जीतने की क्षमताष नहीं होने चाहिये। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी चुनावों से पहले कम से कम तीन बार अखबारों और टेलीविजन में आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

हालांकि विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि उच्च निरक्षरता दर, कई मतदाताओं तक संचार माध्यमों की पहुँच में कमी और अनभिज्ञता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुवे ये उपाय सभी मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों से अवगत कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2017–18 के दौरान 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर 77.7: थी और भारत की 22.3: आबादी अभी भी निरक्षर है। नवंबर 2020 में जारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718.74 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जिसमें केवल 54.29: आबादी का समावेश होता है और देश की 45.71: आबादी अभी भी इंटरनेट का उपयोग नहीं करती है। चुनावों से पहले अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से तीन बार चुनाव लड़ने वाले आपराधिक प्रत्याशियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार की पहुँच भी सीमित ही है।

इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा 2018 में किये गये शगवर्नेंस इश्यूज एंड वोटिंग बिहेवियरश सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हालांकि 97.86: मतदाताओं को लगता था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार संसद या राज्य विधानसभा में नहीं होने चाहिए परन्तु केवल 35.20: मतदाता जानते थे कि वे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपराधिक प्रत्याशियों को मतदान करने के सम्बंध में मतदाताओं की अधिकतम संख्या (36.67:) को लगता था कि लोग ऐसे उम्मीदवारों को वोट देते हैं क्योंकि वे उसके आपराधिक रिकॉर्ड से अनजान होते हैं।

प्रत्येक मतदाता के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तक पहुँच होती है और इसलिए इसका इस्तेमाल मतदाताओं को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में जागरूक करने के लिये एक प्रभावी साधन के रूप में किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम की बैलेटिंग इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले मतपत्रों को लोकसभा चुनावों के लिए सफेद रंग में और विधानसभा चुनावों के लिए गुलाबी रंग में छापा जाता है। यदि स्वयं के खिलाफ घोषित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के पैनल (नाम, फोटो और चुनाव चिह्न) मतपत्रों पर लाल रंग में मुद्रित किये जाते हैं तो मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह एक सूचित विकल्प चुन सकते हैं। लाल रंग चेतावनी का पारंपरिक रंग है। ऐसे उम्मीदवारों के पैनल को लाल रंग में मुद्रित करने से निरक्षर वयस्कों और अन्य ऐसे मतदाता जिनको चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक पूर्ववृत्तों के विवरण तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, को मदद मिलेगी और वे सावधानीपूर्वक निर्णय ले सकेंगे। इससे राजनीतिक दल चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से हतोत्साहित होंगे।

प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाती है। चुनाव आयोग को इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामों के सारांश संस्करण की एक प्रति भी प्रदर्शित करनी चाहिए। इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त की जांच करने में मदद मिलेगी।

अतः मतदाताओं को सूचित तरीके से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में मदद करने और राजनीतिक दलों को चुनावों में आपराधिक पूर्ववृत्तों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से हतोत्साहित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को खद के खिलाफ घोषित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के पैनल को लाल रंग में प्रिंट करना चाहिए और प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के सारांशित संस्करण की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए।

डॉली गर्ग बीएजेएमसी तृतीय वर्ष

World Health Day 2021: Together we can reach a fairer and healthier world

World Health Day celebrated globally] under the theme ÞTogether for a fairer] healthier worldß- On this occasion] the World Health Organization ¼WHO½ calls for urgent action to eliminate health inequities and mobilize action to attain better health for all and leave no one behind-

Inequities have always eisted- Despite improvements in health outcomes globally and in the Eastern Mediterranean Region] these gains have not been shared equally across different countries or communities- The COVID&19 pandemic has had grave consequences for people already eÛperiencing inequities- The pandemic has disproportionately impacted those people already socially] economically] or geographically disadvantaged] and evidence shows a worsening trend of dispararities and inequity across the Region-

"Health is a fundamental human right- Every person deserves to live a healthy life regardless of their age] gender] ethnicity] disability] economic situation or employment- Progress in tackling health disparities has been slow worldwide] including in the Region in which many countries are eperiencing emergencies and conflict and we have the largest number of displaced people in the world]" In addition to conflict] several factors contribute to inequities such as poverty] unemployment] environmental challenges] gender inequalities] and most recently] the COVID&19 pandemic- All of these factors and others have a negative affect on the provision of services to communities and ultimately on their health and well&being-

- Vinayak Godra (BAJMC, 3rd Year)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का उपयोग या दुरुपयोग

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया। इस बंद के दौरान देश–भर में हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमे 14 निर्दोष लोगो की मृत्यु हो गई ओर कई सरकारी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा हिंसक आंदोलन भारत वर्ष के इतिहास में दलित समुदाय के द्वारा पहली बार देखा गया ।

20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। यह अपको बता दें कि वर्ष 2016 में एससी/एसटी से जुड़े दायर मामलों में 6 हजार 259 मामले फर्जी पाए गए। न्यायालय ने आपने फैसले में कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद F.I.R दर्ज होगी, न्यायालय ने तुरंत गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई, नए कानून के मुताबिक अग्रिम जमानत का प्रावधान भी जोड़ा गया।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का विरोध तमाम राजनैतिक पार्टियों ने किया। केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल की सुबह न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की। जिस पर 3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि न्यायालय अधिनियम के खिलाफ नहीं है न्यायालय ने प्रावधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की हैं। न्यायालय ने कहा समानता के अधिकार से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए, निर्दोष लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का फर्ज हैं।

2 अप्रैल को 9 राज्यों में हुई हिंसक घटनाओं में 14 लोगो की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बंद का असर जादा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस चौकी ओर मुजफ्फर नगर में पुलिस थाने में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं गाजियाबाद में सड़को पर तोड़–फोड़, आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाया गया , वही हापुड़, फिरोजाबाद, आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़को पर जाम लगाया, प्रदर्शनकारियों ने अलग– अलग जगह पर ट्रेन को रोक कर प्रदर्शन किया।

ऐसी ही घटनाएँ राजस्थान के अलवर, सीकर, जयपुर, जोधपुर में भी देखने को मिली। इन इलाकों में धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इन इलाकों में पुलिस पर पथराव किया गया, रेलवे लाइन को भी बाधित किया, दुकानों एवं गाड़ियों में आग लगाई गई एवं अनेक हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। जयपुर के एक शोरूम में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ –फोड़ कर दी। शोरूम का शीशा तोड़ दिया। यहां पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। ग्वालियर में एससी/एसटी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान गोलियां चल गईं। मुरैना में ट्रेन की पटरियां उखाड़ने की कोशिश की गई। बिहार के जहानाबाद, दरभंगा, आरा, अररिया, सहरसा, मधुबनी जिलों में बंद समर्थक रेल पटरियों पर बैठ गए, जिससे रेलों के परिचालन पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। बंद समर्थकों ने कई ट्रेनें रोक दी और हंगामा किया। सड़कों पर आगजनी की, जिससे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।

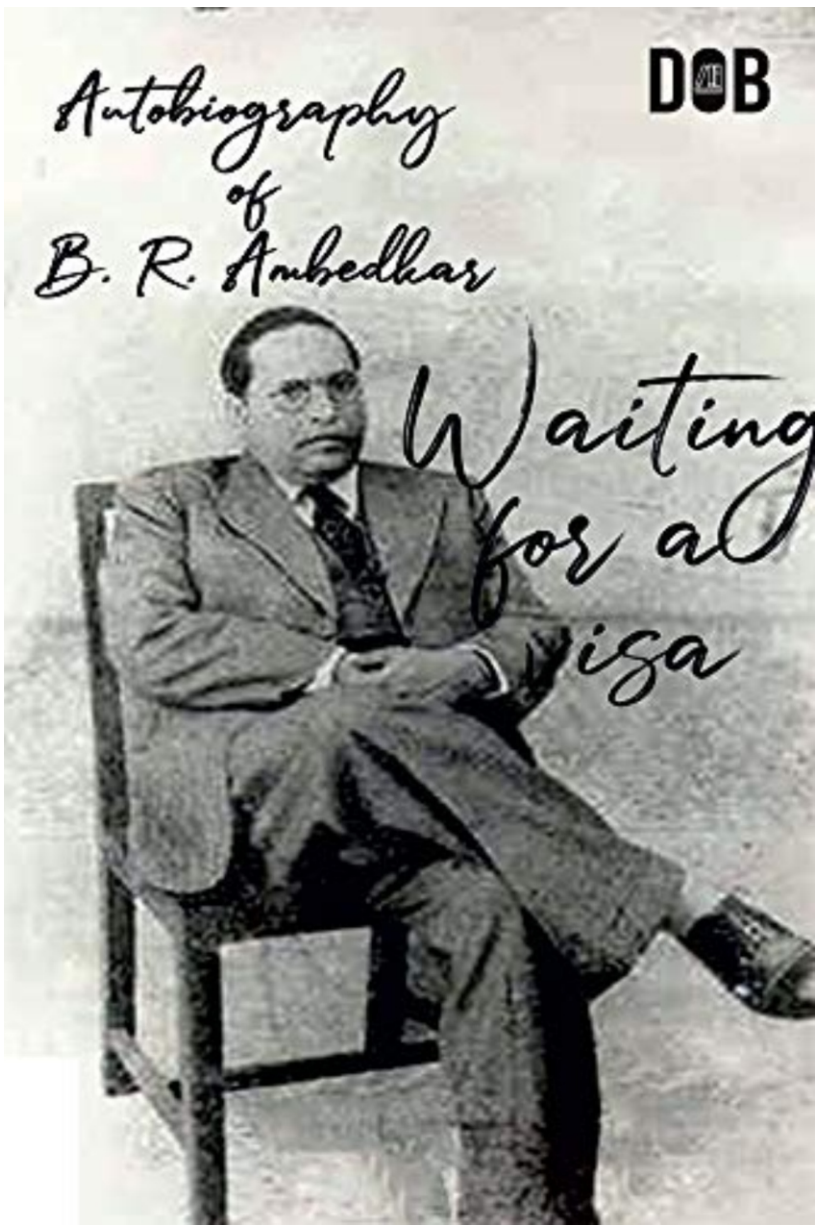

बंद के दौरान अन्य कई राज्यों, जगह पर भी बंद का प्रभाव देखने को मिला। मगर जिन राज्यों में बी जे पी की सरकारे हैं या फिर जहां आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं वहां बंद का ज्यादा असर देखने को मिला। राजस्थान, मध्यप्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं ओर चुनावों के वक्त पार्टियाँ अपने अपने वोट बैंक को भुनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। देश की कुल आबादी की 16.6: जनसंख्या दलितों की है और सभी पार्टी इतने बड़े वोट बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। वहीं जहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार में हिंसक घटनाएं देखने को मिली जो कि बी जे पी शासित प्रदेश हैं। वही पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन शांतिपूर्वक किया।

जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा दलित हैं। हमारे देश में आंदोलन हमेशा ही राजनीति से प्रेरित होते हैं। चाहे वह जाठ आंदोलन हो या फिर दलित आंदोलन,हर जगह आम जनता को समस्या झेलनी पड़ती हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है एवं यातायात को प्रभावित किया जाता है।

देश को 12 मार्च 2018 में हुए किसान आंदोलन से सीख लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में 12 मार्च को बच्चों की परीक्षा थी। बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए किसानो ने 11 मार्च की रात्रि को पैदल यात्रा करके सुबह 5 बजे से पहले ही आजाद मैदान पहुंच गए। ना ही किसानों ने कोई उग्र प्रदर्शन किए, ना ही वाहनों में तोड़फोड़ की ओर ना अन्य आम लोगो के काम काज को प्रभावित किया। जिसके फलस्वरूप किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया ओर सरकारों को उनकी मांगे माननी पड़ी।

2 अप्रैल को हुए इस भारत बंद की वजह से एक बच्चे ने ऐम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। उस बच्चे के हत्यारे कौन हैं करणी सेना ने राजस्थान में बच्चों की स्कूल बस में आग लगा दी थी उसी प्रकार कल भी दलित प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग को हवाले कर दिया था, AIIMS की बस से डॉक्टर और नर्स को निकालकर जबरदस्ती बस में आग लगा दी गई। करणी सेना को तो इस देश के तमाम बुद्धिजीवी,राजनेताओं ने गुंडा कह कर संबोधित किया था अब वो इन प्रदर्शनकारियों को क्या कह कर संबोधित करेंगें ।

उसी तरह जाठ आंदोलन को गुंडागर्दी बताया गया और 2 अप्रैल को हुई घटना को ? क्या आजादी के बाद मिल रहे आरक्षण का आम दलितों को कुछ फायदा हुआ भी है ? क्या 70 वर्ष पश्चात भी वो इतने सक्षम नहीं बन पाये की उन्हे आज भी आरक्षण की बूढ़ी लाठी का सहारा लेना पड़ता है ? क्या उन्हें आरक्षण सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा बनाए रखने के लिए दिया गया है ?

SASHAKT: Different Is Special

"Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will". Keeping this objective in mind, students of BA(JMC) department of Tecnia Institute Of Advanced Studies, organized an ad campaign, 'SHAKT: Different Is Special' under the guidance of Mr. Bal Krishna Mishra, Asst. Prof. Journalism and Mass Communication, Tecnia on 7th April 2021. The campaign was conducted online in the area of Rohini Sec-14, New Delhi-, covering the college campus, Bal Bharati Public School, Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. The main objective behind the campaign was to empower the specially-enabled people by promoting their their work, achievements, and redoubtable efforts. They are the super humans as they can do things perfectly even with their missing capes. They might be physically or mentally changed, but they are the true CHALL-ENGERS. They will challenge you, win the battle, and prove that they are stronger than the able-bodied.Each individual irrespective of caste, colour, gender, and age, was targeted as everyone needs to understand and value the work done by the differently-abled citizens of the society.

- Youngster Bureau

Vol. 16 **No.** 4
RNI No.: DEL/BIL/2004/14598
Publisher: Ram Kailsah Gupta on behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies, 3 PSP, Madhuban Chowk, Rohini, Delhi-85; **Printer:** Ramesh Chander Dogra; **Printed at:** Dogra Printing Press, 17/69, Jhan Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-5
Editor: Bal krishna Mishra responsible for selection of News under PRB Act.
All rights reserved.

IMPORTANT QUOTES

"The opposite of a correct statement is a false statement. The opposite of a profound truth may well be another profound truth."

Niels Bohr

•••

"In science one tries to tell people, in such a way as to be understood by everyone, something that no one ever knew before. But in poetry, it's the exact opposite."

Paul Dirac

•••

"Anyone who considers arithmetical methods of producing random digits is, of course, in a state of sin."

John von Neumann

•••

"It is unbecoming for young men to utter maxims."

Aristotle

•••

"Grove giveth and Gates taketh away."

Bob Metcalfe

•••

Compilation:
Priya Kumari

WINNERS v/s LOOSERS Part-90

Winners use hard arguments but soft words; Losers use soft arguments but hard words.

•••

Winners stand firm on values but compromise on petty things; Losers stand firm on petty things but compromise on values.

•••

Winners follow the philosophy of empathy: "Don't do to others what you would, not want them to do to you"; Losers follow the philosophy, "Do it to others before they do it to you."

•••

Winners make it happen; Losers let it happen.

•••

The Winner is always part of the answer; The Loser is always part of the problem.

•••

The Winner always has a program; The Loser always has an excuse.

•••

To Be Continued In Next Issue-

Compilation:
Anamika Pandey

All Students and Faculty are welcome to give any Article, Feature & Write-up along with their Views & Feedback at: **youngstertias@gmail.com**